हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 128

शनिवार, 05 मार्च, 2022/14 फाल्गुन,1943(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 4792 के उत्तर पर श्री मुलख राज द्वारा (प्राधिकृत) श्री अरुण कुमार द्वारा तथा तारांकित प्रश्नः 4805 के उत्तर पर श्री जिया लाल द्वारा (प्राधिकृत) श्री बिक्रम सिंह जरयाल द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्नः 4793, 4794, 4797, 4799 से 4801, 4803, 4804, 4806 से 4809 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्नः 4795, 4796, 4798, 4802 के उत्तर पर सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 4810 से 4848 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1947 से 1977 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री विक्रमादित्य सिंह, सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए मामला उठाया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान उनके पिता एवं भूतपूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के बारे में किसी मंत्री द्वारा टिका-टिप्पणी की गई जोकि बिल्कुल भी उचित नहीं थी।

श्री राकेश पठानिया, वन मंत्री ने **श्री विक्रमादित्य सिंह, सदस्य** को कहा कि वे जिस मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम और उनके द्वारा कही गई बात के बारे में सदन में खुलकर बोलें।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने माननीय मंत्री द्वारा स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के बारे में की गई टिप्पणी पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में भविष्य में इस सदन में कोई टिप्पणी न की जाए।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि किसी के प्रति किसी भी प्रकार की टिप्पणी करते समय दोनों पक्षों के सदस्यों द्वारा संयम रखा जाना चाहिए क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाई जाती है तो प्रतिक्रिया-स्वरूप दूसरा पक्ष भी वैसा ही करता है जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है।

2. कागज़ात सभा पटल पर

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-1 व 243-Y की धारा-98(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग का छठा अंतरिम प्रतिवेदन, वर्ष 2022-2023 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

श्री बलबीर सिंह, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2021-22) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-

(i) समिति का 41वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP) से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 42वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 37वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग के अन्तर्गत "मुख्यमन्त्री आदर्श ग्राम योजना" से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के 14वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 27वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापिस लाने हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन गंगा" के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए सदन में वक्तव्य दिया।

श्रीमती आशा कुमारी, सदस्या ने जानकारी चाही कि जो बच्चे स्पैशली सुमी और खारकीव में फंसे हुए हैं उनके लिए बात चली थी कि रशियन्ज़ उन्हें सेफ पैसेज़ देने के लिए एक कॉरिडोर क्रिएट करेंगे, क्या वह कॉरिडोर क्रिएट हो पाया है?

माननीय मुख्य मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार रूस और यूक्रेन के साथ बार-बार मामला उठा रही है तथा विदेश मंत्रालय भी लगातार प्रयासरत्त है कि हमारे भारत

का एक-एक नागरिक चाहे उसमें बच्चे हैं या कोई अन्य लोग जो वहां पर व्यवसाय करने के लिए गए हैं, उनकी सुरक्षित वतन वापसी हो।

4. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमान - सामान्य चर्चा

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. **श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष**

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष द्वारा चर्चा करते समय टिप्पणी करने पर कि आप 31 मार्च, 2022 तक 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज़ा लेने वाले मुख्य मंत्री होंगे, पर **माननीय मुख्य मंत्री** ने आपत्ति व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष को सदन में तथ्यों पर आधारित बोलने हेतु कहा।

(1.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 02.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

आगे चर्चा जारी-

2. **श्री राकेश जम्वाल**

(2.25 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम लाल ठाकुर, सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए बजट पर चल रही महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान अधिकारी दीर्घा में किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के उपस्थित न रहने बारे उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया।

3. **श्री सुभाष ठाकुर**

श्री राम लाल ठाकुर, सदस्य ने पुनः उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान अधिकारी दीर्घा में अभी तक भी किसी वरिष्ठ अधिकारी के उपस्थित न होने बारे आकर्षित किया तथा इस संबंध में कोई व्यवस्था देने हेतु भी आग्रह किया।

संसदीय कार्यमंत्री ने अवगत करवाया कि मुख्य सचिव को इस बारे में संदेश भिजवा दिया है तथा अध्यक्ष महोदय को भी सूचित कर दिया गया है।

4. श्री जगत सिंह नेगी

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान पेट्रोल की कीमतों पर बोलते हुए माननीय प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने पर संसदीय कार्यमंत्री ने आपत्ति दर्ज़ करते हुए उन्हें सदन में इस तरह की भाषा का प्रयोग करने व प्रधानमंत्री जी का मज़ाक उड़ाने पर माफी मांगने हेतु कहा। उन्होंने उपाध्यक्ष महोदय से भी आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोले गए शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि कार्यवाही में कोई असंसदीय शब्द आया होगा तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय सदस्य का शब्दों और व्यवहार पर कोई संयम नहीं है। प्रधानमंत्री जी केवल देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं इसलिए उनके विरुद्ध किसी भी तरह की टिका-टिप्पणी करना उचित नहीं है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि माननीय सदस्य द्वारा किसी भी प्रकार के असंसदीय शब्द का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध नहीं किया गया है और इस बात की पुष्टि रिकॉर्ड चैक करके की जा सकती है।

(**इस बात पर दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक नोकझोंक होती रही**)

(**03.15 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए**)

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि वे रिकॉर्ड चैक कर लेंगे और यदि किसी तरह के असंसदीय शब्द का प्रयोग हुआ होगा तो उसको कार्यवाही से निकालेंगे। उन्होंने श्री जगत सिंह नेगी जी को बजट तक ही अपनी चर्चा को सीमित रखने की भी हिदायत दी।

5. श्री परमजीत सिंह

6. श्री बलबीर सिंह वर्मा

(**04.25 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।**)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए कहा कि यदि अभी विपक्ष के विधायक सदन से बाहर चले जाएं तो कोरम पूरा नहीं होगा क्योंकि सत्तापक्ष की तरफ के बहुत ही कम विधायक सदन में मौजूद हैं। अतः बजट पर हो रही चर्चा का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा।

7. **श्री लखविन्द्र सिंह राणा**

04.55 बजे अपराह्न सदन की बैठक सोमवार, 07 मार्च, 2022 के 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।